ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 155-156
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

महिला आन्दोलन के वैश्विक परिदृश्य का अवलोकन

अमृत आनंद सिन्हा

शोध अध्येता–प्राचीन भारत एवं एशियाई अध्ययन विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार), भारत

Received-01.09.2023, Revised-07.09.2023, Accepted-11.09.2023 E-mail: amritanandballia@gmail.com

सारांश: ***आज यदि महिलाओं की वर्तमान अवस्था को समझने का प्रयास किया जाय तो इसके लिए महिलाओं की वैश्विक प्रयासों का अध्ययन आवश्यक है। ऐसे उदाहरण विश्व के अनेकों देशों में मिलता है जहाँ महिलाओं ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण हजारों वर्षों से अपनी दबी हुई आकांक्षाओं को फलीभूत करने के लिये संघर्ष और आन्दोलनों का सहारा लिया। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाय, तो महिला आन्दोलनों का सूत्रपात सामान्यतया इंग्लैण्ड, अमेरिका और फ्रांस जैसे राष्ट्रों में हुआ। अतः इन राष्ट्रों के महिला आन्दोलनों के आलोक में ही महिलाओं की स्थिति को समझा जाना एवं विवेचना किया जाना अधिक समीचीन होगा ।***

कुंजीभूत शब्द– इच्छाशक्ति, वैश्विक परिप्रेक्ष्य, महिला आन्दोलन, वैश्विक परिदृश्य, सामंतवाद, समानता, आजादी, प्रचारित ।

1688 में इंग्लैण्ड की ग्लोरियस क्रान्ति (Glorious Revolution) ने सामंतवाद का अंत किया और समानता एवं आजादी के संदेश को प्रचारित करने में मदद की. जो 1776 में सम्पन्न हुई। अमरीकी क्रांति अपने साथ स्वतंत्रता और सबके लिए सुख का विचार लाई, उसने अमरीका में औपनिवेशिक शासन की समाप्ति की भी पहचान थी। फ्रांसीसी क्रांति पर इन दोनों का ही असर था, लेकिन सामंतवाद के खात्मे, पूँजीवाद को प्रोत्साहन और आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को स्थापित करने के मामले में उसका व्यापक और गंभीर प्रभाव पड़ा। 17 जून, 1789 को थर्ड एस्टेट (Third Estate) के सदस्यों, यॉनि कि फ्रांस की 96 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्यम और निम्न वर्गों ने राजशाही/सामंती प्रशासन को नकारकर अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली ने अगस्त, 1789 में 'मानव (man) और नागरिक अधिकारों के घोषणा को अपना लिया, जिसे व्यक्ति के प्राकृतिक, अटूट और पवित्र अधिकारों में विश्वास करते हुए घोषणा की कि ''मनुष्य की स्वतंत्रता और समानता तथा पुरानी निर्दयी हुकूमत को ललकारने के लिए इन प्राकृतिक अधिकारों ने जमीन मुहैया की है। ये प्राकृतिक अधिकार स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष और तानाशाही पर आधारित पुरानी व्यवस्था का विरोध के आधार बने।

यह एक महत्वपूर्ण बात है कि उच्च वर्गीय पढ़ी–लिखी महिलाओं द्वारा बनाए गए सेलों (Salons) वे केन्द्र बनें जहाँ सबसे पहले क्रान्तिकारी विचारों पर चर्चा की गई। कामकाजी औरतों ने रोटी के लिए हुए आन्दोलन की अगुआई की जो कि, क्रांति की पृष्ठभूमि बने थे। कैदखाने को उड़ाने और कैदियों को रिहा करवाने में बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सेदारी की। ओलम्पी द ब्राउज ने 'महिलाओं के अधिकारों का वैकल्पिक घोषणा पत्र (Declaration of the Rights of Women) जारी करते हुए कहा है कि महिलाएँ स्वतंत्र रूप से जन्मी हैं और उनके अधिकार पुरुष अधिकारों के समान हैं... कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होना चाहिए. सभी नागरिकों, पुरुष हों या स्त्री की इसे बनाने में हिस्सदारी होनी चाहिए, महिलाओं को फांसी के तख्त पर जाने का अधिकार है, उसे संसद में भी जाने का अधिकार होना चाहिए।

1793 में महिलाओं के राजनीतिक क्लबों को दबाया गया, महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी का विरोध किया गया और कानून में नेपोलियन की संहिता लागू की गई, जिसके तहत महिलाओं को परिवार में पुरुषों के मातहत रखा गया। महिलाएँ पुरुषों की अधीनता से एक लंबे संघर्ष के बाद मुक्त हुई। उन्हें 1870 में जाकर विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला था, डॉक्टरी करने की अनुमति 1875 में तथा 1900 में कानून का पेशा अपनाने की अनुमति मिली। 1870 में जब फ्रांस में पुरुषों को सार्वभौमिक मताधिकार मिला तब से ही फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। मैडम बारबरॉज ने कहा कि जब संविधान द्वारा व्यवस्था दी गई है कि सभी फ्रांसवासियों (tout francais) को मताधिकार प्राप्त है तब इसके मुताबिक महिलाएँ कानूनी रूप से वोट की हकदार हैं, जबकि कोर्ट ने कहा कि 'tout francais' यॉनि कि सभी फ्रांसवासियों में महिलाएँ शामिल नहीं है।

मताधिकार के लिए महिलाओं के संघर्ष की जड़ें उन्नीसवीं शताब्दी के शुरूआत से देखी जा सकती है। उन्नीसवीं शताब्दी में चार्टिस्टों में एक समान मताधिकार के साथ आम राय बनाने के लिए सांसदों, रेडिकल समूहों से अपील, दरख्वास्तगी से लेकर बीसवीं शताब्दी में मताधिकार के लिए जुझारू संघर्ष तक, ब्रिटिश महिलाओं ने मताधिकार के लिए लंबा और कठिन संघर्ष किया, जब सन् 1921 में मैक्सशील के नेतृत्व में इंग्लैण्ड में महिलाओं ने एक बड़ा आंदोलन चलाया और माँग की कि उन्हें भी पुरुषों के समान दर्जा दिया जाय और वोट देने का अधिकार मिले।

1890 के दशक के जुझारू दौर के आखिरी हिस्से में मिलिसेंट फॉसेट, जिन्होंने 'नेशनल यूनियन फॉर वुमेन सफरेज का नेतृत्व किया था सफरेज आंदोलन की महत्वपूर्ण शख्सियत थीं। 1880 के अंत तक लिबरल पार्टी के वर्चस्व वाले संसद से मताधिकर के संवैधानिक समर्थकों का विश्वास कमजोर होने लगा था। स्थानीय 'वुमेन्स लिबरल एसोसिएशंस जो कि 1886 में 'वुमेन्स लिबरेशन फेडरेशन के तौर पर कैथेराइन ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में संगठित हुआ और 1888 में महिलाओं के मताधिकार के सवाल पर उसके दो धड़ें हो गए वुमेन्स लिबरेशन फ्रंट और वुमेन्स लिबरेशन यूनियनिस्ट एसोसिएशन 1892 में पुनः वुमेन्स लिबरेशन फ्रंट का विघटन हुआ। समाज सुधार के काम को आगे बढ़ाने के लिए वुमेन्स नेशनल लिबरेशन एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसके साथ बीररिस बैब जैसी महिलाएँ जुड़ी वुमेन्स लिबरेशन फ्रंट ने अपने आप को मताधिकार के सवाल पर ही केन्द्रित रखा। 1897 में मिलिसेंट फॉसेट की अध्यक्षता में वुमेन्स लिबरेशन फ्रंट के अलग–अलग शाखाओं को मिलाकर एक एकजुट समूह नेशनल यूनियन ऑफ वुमेन सफरेज सोसायटीज का गठन

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

किया गया, मताधिकार समर्थकों ने उदारवादियों और संसदीय विपक्ष के प्रति अपनी निराशा व्यक्त की। 1898 में वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू में एलिजाबेथ वोस्टेहोम एल्मी द्वारा एक पत्र लिखकर कहा गया, "अगर हमें मताधिकार के लिए तब तक इंतजार करना पड़ेगा, जब तक लिबरल पार्टी इतनी प्रशिक्षित हो जाए कि वह यह अधिकार देने के लिए तैयार हो जाए, तो हमें डर है कि यह हमारी या अपनी जिंदगी रहते नहीं आएगा...मेरे समझ से किसी भी महिला की यह भूल होगी, कि वह पहले पार्टी की महिला और बाद में मताधिकार समर्थक बने।" वुमेन्स लिबरेशन फ्रंट के एक समूह यूनियन ऑफ प्रैक्टिकल सफरेजिस्ट्स' के नेतृत्व में फॉरवर्ड' आंदोलन के माध्यम से आंदोलन में तेजी लाने का निश्चय किया गया। 1906 तक आक्रामक तरीके अख्तियार करने की वजह से आंदोलन एक नई ऊँचाई पर पहुँचा। मताधिकार के आक्रामक समर्थकों ने संवैधानिक तौर–तरीकें को छोड़कर, संपत्ति को नष्ट करने वाले और घेराव करने वाले तत्वों का सहयोग किया। बड़ी संख्या में मताधिकार समर्थकों को गिरतार करके जेल में भेजा गया मताधिकार आंदोलनकारियों ने जेल जाने को अपने विरोध को जाहिर करने की रणनीति के तहत अपनाया। उन्होंने कोर्ट 'अरेस्ट' के सामान्य कानून को तोड़कर गिरतारी दी और जेल में अपने साथ राजनीतिक दर्जे के अनुरूप प्रथम श्रेणी के व्यवहार की माँग को लेकर अभियान शुरू कर दिया। जबकि 1898 के जेल अधिनियम के मुताबिक उनमें से बहुत–सी महिलाएँ अपने प्रभावी और सम्मानित पृष्ठभूमि की वजह से प्रथम श्रेणी सुविधा के योग्य भी थीं, लेकिन कोर्ट, कैदियों के पूरे–के–पूरे वर्ग को उस श्रेणी में रखने के खिलाफ अड़ा हुआ था। परिणामस्वरूप बहुत से महिला मताधिकारवादियों को द्वितीय और 'सामान्य अपराधियों के लिए बने तृतीय श्रेणी में रखा गया, जिसका अर्थ होता था पूरी तरह से अलग करके रखना और कपड़े उतरवाकर तलाशी लेना। प्रतिरोध के जिस तरीके ने जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा और प्रशासन को दुःखी किया वह था आंदोलनकारियों का भूख हड़ताल पर जाना। हड़तालियों को जबरन खिलाने की सरकारी कोशिश के कारण जनता में भारी रोष पनपा।

4 जुलाई, 1776 के स्वतंत्रता के अमरीकी घोषणा' (TheAmerican Declaration of Independence) ने मानवीय समानता के क्रांतिकारी विचारों का समर्थन किया। 1789 में अमरीका के संविधान में दस संशोधनों द्वारा जोड़े गए 'बिल ऑफ राइट्स' (Bill of Rights) के कारण अमरीकी जनता को बहुत सारे अधिकार मिले, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, धर्म की आजादी और न्याय के अधिकार शामिल हैं। हालांकि 'घोषणा' द्वारा किए गए समानता के वायदे सब पर लागू नहीं थे। घोषणा पर हस्ताक्षर के 90 साल बाद तक दास प्रथा जैसी संस्था जारी रही और अमरीका स्थित भारतीय, अफ्रीकी तथा अमरीकी और महिलाओं को राजनीतिक नागरिकता से बाहर ही रखा गया था। राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं के संघर्ष की शुरूआत 1930 में दास प्रथा की समाप्ति के लिए आंदोलन में हिस्सेदारी के साथ शुरू हुआ। दास प्रथा की समाप्ति के लिए काम करते वक्त महिलाओं ने यह महसूस किया कि उन्हें पुरुष 'एबोलिशिनिस्ट' (Abolitionist) के बराबर नहीं माना जाता है, उन्हें कुछ संगठनों की सदस्यता नहीं दी जाती थी और सार्वजनिक रूप से बोलने के अधिकार भी नकार दिए गए। हालांकि इस संघर्ष ने उनको मानवाधिकारों के लिए आंदोलन के प्रभाव को भी प्रदर्शित कर दिया। ग्रीमके बहनों (साराह और एनजेलाइन), ल्यूकरेटीया मोट और एलिजाबेथ कैडी स्टैन्टन जैसी महिला एबोलिशनिस्टों ने दास प्रथा और महिला अधिकारों को एक–दूसरे से जोड़ा। उन्होंने 19–20 जुलाई, 1848 को सेनेका में वुमेन्स राइट्स कनवेंशन का आयोजन किया। इसे सेनेवा फाल्स कनवेंशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ छोटे से चौपल (गिरजाघर) में लगभग तीन सौ पुरुष और महिलाएँ एकत्रित हुई और 'डिक्लेरेशन ऑफ सेंटीमेंट्स एंड ट्वेल्य रिजोल्यूशन्स' को स्वी.त किया। डिक्लेरेशन और सेंटीमेंट्स को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में बदला गया। इसने महिलाओं और पुरुषों की समानता की बात की।

मई 1869 में सुसान बी० एन्थॉनी और एलिजाबेथ केडी स्रूटान ने 'नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन' को संगठित किया और महिलाओं के अधिकारों जैसे व्यापक सवाल को उठाया और वोट के अधिकार को उन अधिकारों को हासिल करने के हथियार के रूप में देखा। इन संगठनों ने अगले 20 सालों तक बतौर रणनीति भाषण यात्राओं, लॉबिंग (Lobbying) गतिविधियों, आवेदन – अभियान इत्यादि का इस्तेमाल किया। स्टेन्टान और एन्थॉनी की नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन ने कोर्ट द्वारा महिलाओं को मताधिकार दिलाने की कोशिश भी की। 'कोर्ट द्वारा वोट के प्रयत्न को उस समय धक्का लगा जब 1875 के एक फैसले में कोर्ट ने कहा कि मताधिकार चौदहवें संशोधन द्वारा प्रदान की गई सुविधा नहीं है और हालांकि महिलाएँ नागरिक थीं, संविधान मताधिकार को सिर्फ पुरुषों तक सीमित रख सकता था। 1890 में अमरीकन वूमेन नेशनल ने नेशनल अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन बनाने के लिए अपना विलय कर लिया और महिला आंदोलन ने अपने आपको मताधिकार के एकमात्र मुद्दें पर फिर से केन्द्रित किया। महिला सफरेजिस्ट्स की नई पीढ़ी ने पुराने नेतृत्व का स्थान लेना शुरू कर दिया। अब तक मताधिकार आंदोलन पश्चिम के कुछ राज्यों में महिलाओं को मिले मताधिकार का ही दावा कर सकता था। 1913 में एक युवा आक्रामक मताधिकारवादी एलिस पॉउल ने कांग्रेसनल यूनियन नामक एक रेडिकल समूह की स्थापना की, जिसको वुमेन्स पार्टी के रूप में पुनसंगठित किया गया। ब्रिटिश मताधिकारवादियों से प्रभावित होकर यूनियन ने जुलूसों, विशाल प्रदर्शनों, भूख हड़तालों जैसे और तरीकों का इस्तेमाल किया और इस प्रकार के प्रयासों के बाद अन्ततः महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। यदि भारत में महिलाओं के मताधिकार या अन्य अधिकारों के प्राप्ति के बारे में विचार किया जाय, तो स्पष्ट हो जायेगा, कि यहाँ अंग्रेजी शासन काल में महिलाओं को अल्प अधिकार दिया गया, किन्तु आजादी के बाद सभी तरह के विभेदों को स्वतः बिना महिला आन्दोलनों के समाप्त कर दिया गया और पुरुषों के समान महिलाओं को मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया गया। इसी तरह सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक अधिकारों के लिए भी भारत में महिलाओं को किसी तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ा। फिर भी यह स्पष्ट है कि महिलाओं को जो भी अधिकार वैश्विक स्तर पर प्राप्त हुए हैं, उसमें उन्हें समर्पण के साथ संघर्ष के बाद ही प्राप्त हुए हैं।

*****